उत्तर प्रदेश शासन
धर्मार्थ कार्य विभाग
संख्या-2/2017/195/57-2017-7(3)/2015 टी0सी0-1
लखनऊः दिनांकः 10 अप्रैल, 2017

विज्ञप्ति/प्रकीर्ण

विषयः- श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले उ0 प्र0 राज्य के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में।

उ0प्र0 राज्य के मूल निवासियों को श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पूर्ण करने के लिये निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल होने वाले उ0प्र0 के मूल निवासियों, जो वर्तमान में भी प्रदेश में निवास कर रहे हों, को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रू0-1,00,000/- (एक लाख) की धनराशि, अनुदान स्वरूप दी जायेगी, जिसमें आवेदक द्वारा सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण-पत्र अथवा पासपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति अथवा आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2- अनुदान भारत सरकार द्वारा यात्रा में सम्मिलित होने वाले यात्रियों के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्रोतों से तथा प्राईवेट ट्रेवेल ऐजन्सी के माध्यम से यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को देय होगा।

3- अनुदान की धनराशि यात्रा के पूर्व प्रदान की जायेगी।

4- जीवन काल में किसी यात्री को एक बार ही अनुदान दिया जायेगा।

5- अनुदान हेतु यात्रियों का चयन आधार कार्ड/जिलाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र/पासपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति के अनुसार किया जायेगा।

6- यात्रियों को दी जाने वाली सहायता राशि की सम्पूर्ण धनराशि महानिदेशक पर्यटन के निर्वतन पर रखी जायेगी। **(उक्त यात्रा का व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-84 के लेखाशीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवायें-101 धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये दान-04 कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों का अनुदान-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) के मद के नामें डाला जायेगा)।** धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा कर पात्र यात्रियों की सूची महानिदेशक पर्यटन को उपलब्ध करायी जायेगी, तत्पश्चात पात्र आवेदकों के नाम का पृथक-पृथक चेक महानिदेशक पर्यटन द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि चेकों का वितरण धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- किसी यात्री की मृत्यु होने की दशा में पत्नी/पति या आश्रित के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

8- अनुदान प्राप्त करने वाले चयनित यात्री यात्रा पूर्ण करने के उपरान्त यात्रा सम्पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग के कार्यालय कक्ष सं0-105, बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

9- आर्थिक सहायता हेतु आवेदन का प्रारूप निम्नवत हैः-

कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्रः-

1- यात्री का नामः-

2- पिता/पति का नामः-

3- व्यवसायः-

4- निवास स्थान का पूर्ण पताः-

(दूरभाष क्रमांक हो तो)

5- उ0प्र0 में निवास करने का प्रमाण पत्रः-

6- कैलाश मानसरोवर की क्या प्रथम यात्रा है (हां या नहीं)

7- पहचान पत्रः-

स्थानः-

दिनांकः- **आवेदक का हस्ताक्षर**

नोट- आवेदन पत्र प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को प्रेषित करना होगा।

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2017/195(1)/57-2017-7(3)/2015 टी0सी0-1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त प्रमख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0 प्र0 शासन।

3- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 इलाहाबाद को इस आशय के साथ कि सरकारी गजट के साधारण अंक में तत्काल प्रकाशित कराते हुए विज्ञप्ति/प्रकीर्ण की 500 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4- महानिदेशक, पर्यटन उ0 प्र0 लखनऊ।

5- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, इलाहाबाद, उ0 प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0 प्र0।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
8- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0 प्र0।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0 प्र0 शासन।
10- निजी सचिव, मा0 मंत्री, धर्मार्थ कार्य, उ0 प्र0।
11- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
12- सामान्य प्रशासन अनुभाग।
13- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।